न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2020-00234Ju2020-110 Smt. Surindar kaur etc Vs Suvakanwar etc

01. श्रीमती सुरिन्द्रर कौन पत्नी परमजीतसिंह
02. श्रीमती कुलवीर कौर पत्नी रणजीतसिंह, जाति जट सिक्ख, निवासीगण- अलड़ तहसील दसुडा, जिला होशियारपुर, पंजाब

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. सुवाकंवर पुत्री जीवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी- जैमला, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 18 अगस्त 2020 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 100/2020 सुरिन्दर कौर व अन्य बनाम सुवाकंवर इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री रोशन लाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
रेस्पोडेंट संख्या एक बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 17 नवंबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 100/2020 सुरिन्दर कौर व अन्य बनाम सुआकंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 अगस्त 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 24 अगस्त 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को सुने बिना स्थगन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित नहीं किये जाने के पर आलौच्य आदेश दिनांक 18 अगस्त 2020 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करते समय भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व दस्तावेजों की अनदेखी की गई। अपीलार्थीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। मौके पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त साबित होता है। मौके पर पानी का टांका व कच्चा रहवासीय स्थान बना हुआ है, जिससे प्रथमदृष्टया मामला, अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। राजस्व रेकर्ड में बिना किसी विधिक आदेश के राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम कर दी गई है, जबकि मौके पर कब्जा काश्त तरमीम से विपरीत आया हुआ है, इस कारण तरमीम विधि विरूद्ध की गई है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। इस कारण सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। यदि प्रत्यर्थी संख्या एक अपीलार्थीगण की गलत तरमीम की आड़ में कब्जे काश्त में बेदखल करता है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपायी किया जाना नामुमकिन है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं कोअपने पक्ष में साबित किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों बिंदुओं की व्याख्या किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त व अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अगस्त 2020 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा वाद के लंबित रहनेतक विवादित भूमि खेत खसरा नं. 153 के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावें तथा प्रत्यर्थी संख्या एक को पाबंद किया जावें कि वह नजरी नक्शें अनुसार अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलंदाजी करे न ही किसी अन्य से करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2020 को प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुने बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वर्तमान परिस्थिति मुताबिक उचित नहीं समझा तथा रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये। उपलब्ध राजस्व अभिलेख मुताबिक **अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 153 के रेकर्डेड खातेदार है तथा वे प्रस्तुत नक्शे अनुसा खसरा नं. 153 की सीमाओं के भीतर रहकर उज्र कर सकते है।** इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है तथा प्रार्थना पत्र का निस्तारण होना शेष है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अगस्त 2020 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश पारित करें। तब तक न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2020 प्रभावी रहेगा। पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28 दिसंबर 2021 को उपस्थित रहे।

17/11/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर